

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- मूल चन्द आर.ए.एस.

1- अपील संख्या 114/2010 75 एल.आर.एक्ट
स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व टिब्बी जिला हनुमानगढ़। —अपीलांट
बनाम

- | | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1. मन्जूर मोहम्मद | | |
| 2. मो० मनसा | पिसरान आमीन मो० | जाति मुसलमान सा० गुडिया तहसील |
| 3. मो० उमर | | टिब्बी। —रेस्पोंडेन्टस |
| 4. ऐसा बी बेवा आमील मो० | | |
| 5. शमशाद बी पुत्री आमीन मो० | | |

2- अपील संख्या 118/2010

75 एल.आर.एक्ट

- | | | |
|--|--|------------|
| 1. सरजीत सिंह वल्द सुरजन सिंह पुत्र शंकर सिंह जाति रायसिख निवासी गुडिया हाल जालवाली तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर (अृतक) | | |
| 1/1 राजेन्द्र सिंह पुत्र | | |
| 1/2 पवनदीप सिंह पुत्र | स्व० सरजीत सिंह जाति रायसिख निवासी गुडिया | |
| 1/3 अमरो देवी पत्नी | हाल जालवाली तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर। | |
| 1/4 कमलजीत कौर पुत्री | | —अपीलांट्स |



- | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------|
| 1. मंजूर मोहम्मद | | |
| 2. मोहम्मद मंशा | पिसरान आमीन मोहम्मद | जाति मुसलमान निवासी गुडिया |
| 3. मोहम्मद उम्र | | तहसील टीबी। |
| 4. ऐसा बी बेवा आमीन मोहम्मद | | |
| 5. शामसाद बी पुत्री आमीन | | |
| 6. बलदेव सिंह | | |
| 7. बिशन सिंह | पुत्रान करतार सिंह जाति रायसिख निवासी गुडिया तहसील | |
| 8. पुर्णसिंह | टिब्बी जिला हनुमानगढ़। | |
| 9. कशमीर सिंह | | |
| 10. बलवीर सिंह | पिसरान सुरजन सिंह | |
| 11. प्यारा सिंह | | जाति रायसिख निवासी गुडिया तहसील |
| 12. मुख्तार सिंह | | टिब्बी। |
| 13. सरजीतो पुत्री सुरजन सिंह | | |
| 14. लक्षमण सिंह | | |
| 15. महेन्द्र सिंह | संतान अरजन सिंह | |
| 16. जोगेन्द्र सिंह | | |
| 17. चंदा सिंह | | |

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

18. कृष्णा बाई पुत्री अरजन सिंह
19. राजस्थान सरकार।

—रेस्पोंडेन्ट्स

विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी टिब्बी प्रकरण
संख्या 60/2009 बअनवानी प्रा.पत्र मंजूर अहमद आदि आदेश दिनांक 27.07.2010

- श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता
श्री विजय कोशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट अपील सं. 118/2010
श्री बलविन्द्र सिंह अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 ता 15
श्री मनोज शर्मा अभिभाषक रेस्पों. सं. 9 ता 12 , 14 ता 18

निर्णय

दिनांक:—08.08.2019

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण मो० मनशा, मो० उमर, मन्जूर मो० ने उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष कस्टोडियन रकबे की सनद जारी करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त आवेदन में चक 2 एमकेएसए के प.नं. 214/225 (मु.नं. 56) कि.नं. 1, 10/0.506, 213/225 (मु.नं. 57) कि.नं. 16, 25/0.506 व प.नं. 213/225 (मु.नं.) कि.नं. 6, 7, 14, 15/1.012 कुल 2.024 है० नहरी रकबे का विवरण अंकित किया।
2. उपखण्ड अधिकारी टिब्बी ने अपने आदेश दिनांक 27.07.2010 से कंता मोहम्मद, मोहम्मद मन्शा, मो० उमर पि० अमीन मोहम्मद, ऐसा बी बेवा अमीन मोहम्मद, शमशाद बी पुत्री अमीन मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी गुडिया के नाम से चक 2 एमकेएसए प.नं. 214/225 के कि.नं. 1, 10/0.506, प.नं. 213/225 के कि.नं. 16, 25/0.506 व प.नं. 213/225 के कि.नं. 6, 7, 14, 15/1.012 कुल 2.024 रकबा की खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये।
3. उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट अपील सं. 118/2010 ने दफा 5 का प्रा.पत्र एवं 96 सीपीसी के प्रा.पत्र सहित तथा स्टेट ने अपील सं. 114/2010 दफा 5 के प्रा.पत्र सहित पेश की।
4. उक्त दोनों अपीले एक ही जमीन से सम्बन्धित होने से दोनों अपीलों का फैसला एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक-पृथक रखी जावे।
5. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि का हस्तांतरण मूल अलोटी द्वारा किये जाने सम्बन्धी कोई पुष्ट साक्ष्य लिए बिना ही रेस्पों. के नाम बिना किसी कब्जा के साक्ष्य के प्रश्नगत भूमि का नियमन नहीं किया जा सकता था। अधी. न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध होने से खारिज योग्य है। देरी को माफ करने के सम्बन्ध में दफा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है जिसमें देरी बाबत समुचित कारण अंकित किये गये हैं। अतः देरी को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2010 निरस्त फरमाया जावे।



राजस्थान अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट अपील सं. 118/2010 ने अपनी बहस में कथन किया कि शंकर सिंह को कस्टोडियन भूमि आवंटित हुई। अपीलांट शंकर सिंह के वारिस हैं जिन्होंने भूमि हस्तांतरण नहीं की। अधी. न्यायालय ने एकतरफा निर्णय पारित कर रेस्पों. के पक्ष में खातेदारी दे दी। इकरारनामा में पूर्ण भुगतान नहीं है शेष राशि बैयनामा के समय दिया जाना था। हस्तांतरण सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण नहीं है। अधी. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विरुद्ध है। अपीलांट ने अपनी बहस में दफा 5 का प्रा. पत्र एवं 96 सीपीसी का प्रा.पत्र स्वीकार कर, अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया।
8. विद्वान अभिभाषक रेस्पों. श्री बलविन्द्र सिंह ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि जरिये इकरारनामा दिनांक 05.06.81 से कय की थी। उक्त भूमि कस्टोडियन भूमि है जिसकी राज्य परिषद दिनांक 6.10.2009 के अनुसार खातेदारी दी जा सकती है और उसी अनुसार खातेदारी दी गई है। नियमन राशि राशि भी जमा करवायी जा चुकी है। पटवारी की रिपोर्ट, सिंचाई की पर्ची के अनुसार कब्जा साबित है। उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में आपत्तिया आमंत्रित करने हेतु दिनांक 29.06.2010 को अखबार में प्रकाशित किया गया, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। कोई राशि बकाया नहीं है। भूमि शंकर सिंह के नाम थी जो मूल आवंटी थी। रेस्पों. ने शंकर सिंह के पुत्र अर्जुनसिंह व करतार सिंह से उनके हिस्से तक भूमि खरीदी है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।
9. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
10. अपील सं. 114/2010 जो स्टेट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है एवं अपील सं. 118/2010 अपील में देरी बाबत दफा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है जिसका खण्डन रेस्पों. द्वारा मय प्रत्युत्तर पेश कर नहीं किया है। अतः न्यायहित में दोनों अपीलों में प्रस्तुत दफा 5 का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है।
11. अपील सं. 118/2010 में अपीलांट ने धारा 96 सीपीसी का प्रा.मय शपथ पत्र पेश किया है जिसका खण्डन रेस्पों. द्वारा मय प्रत्युत्तर पेश कर नहीं किया है। अपीलांट उक्त आदेश से व्यथित एवं हितबद्ध पक्षकार होने से न्यायहित में अपीलांट का धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है।
12. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मूल आवंटी शंकरसिंह फौत हो चुका है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिस समय अपीलाधीन आदेश पारित किया गया उस समय मूल आवंटी के इकरारनामाकर्तागण के अलावा अन्य वारिस पुत्र-पुत्रियां अथवा उनके वारिस मौजूद थे। जिनकी सहमति आवश्यक थी। वर्तमान अपील में भी मूल आवंटी के अपीलाण्ट सरजीतसिंह एवं अन्य वारिसान होना बताया है। जो इकरारनामा प्रस्तुत किया गया है वह मूल आवंटी के सभी वारिसान की और से निष्पादित नहीं किया गया है। अधी. न्यायालय द्वारा अपना आदेश पारित करने से पूर्व मूल आवंटी के सभी वारिसान को सुना नहीं गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में मूल आवंटी के वारिसान का प्रमाण पत्र/सूचना एव मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होना अंकित किया है फिर भी अधी. न्यायालय ने इस सम्बन्ध में पर्याप्त जांच नहीं की। कब्जे होने के सम्बन्ध में भी कोई स्पष्ट आधार नहीं है। राज्य सरकार की और से जो अपील सरकार बनाम मन्जूर मोहम्मद प्रस्तुत की गई है



१३

राज्य अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

उसमें भी उसमें भी अपीलाधीन आदेश में अन्य त्रुटियां अंकित की गई है जिसका सुधार किया जाना आवश्यक है। अपीलाधीन मूल आदेश में मूल अलाटी टेकसिंह अंकित है जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने संशोधित आदेश दिनांक 29.07.2010 द्वारा संशोधित कर दिया गया है। हालांकि संशोधित आदेश की अपील प्रस्तुत नहीं हुई है लेकिन यह आदेश मूल आदेश दिनांक 27.07.2010 की निरन्तरता में ही जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दोनों आदेशों को निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि उभयपक्ष को एवं सभी हितबद्ध/आवश्यक पक्षकारों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित असर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

13. उक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2010 एवं 29.07.2010 अपास्त कर दोनों अपीलें स्वीकार कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को एवं सभी हितबद्ध/आवश्यक पक्षकारों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित असर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की अलग अलग प्रति दोनों पत्रावलियों में रखी जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।
14. निर्णय आज दिनांक 08.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुरे इजलास सुनाया गया।



सत्यमेव जयते

(मूल चन्द आरएस)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official